न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **बिरद्या बनाम श्री अशोक त्यागी उपखण्ड अधिकारी सिकराय वगैरा** **स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र** **मु.न. 28/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

01.08.2018

अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11 द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री अशोक कुमार त्यागी का स्थानान्तरण हो चुका हैं। इसलिए मिसल स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नही हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में प्रार्थना पत्र रिसीवर उनवानी सेडूराम बनाम बिरद्या वगैरा मु.न. 109/2014 विचाराधीन है। जबकी इससे सम्बन्धित दावा उद्घोषणा, इशतकरार इन्द्राज दुरस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी सेडूराम बनाम बिरद्या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन है। इसलिए उक्त प्रकरण को भी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तत्पश्चात उनवानी प्रकरण सेडूराम बनाम बिरद्या वगैरा से सम्बन्धित दावा उद्घोषणा, इशतकरार इन्द्राज दुरस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र रिसीवर उनवानी सेडूराम बनाम बिरद्या वगैरा मु.न. 109/2014 को भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में ही सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र रिसीवर उनवानी सेडूराम बनाम बिरद्या वगैरा मु.न. 109/2014 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र रिसीवर उनवानी सेडूराम बनाम बिरद्या वगैरा मु.न. 109/2014 से सम्बन्धित मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई में अविलम्ब भिजवावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय एवं बांदीकुई को भिजवायी जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलक्टर
दौसा